झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

पत्र सं0-कार्य0का0सू0-13/2024-3114 /वि0स0।

प्रेषक,

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा,राँची।
माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण, झारखण्ड सरकार,राँची।

राँची,दिनांक-18/07/2024

विषयः- पंचम झारखण्ड विधान सभा के सप्तदश (मानसून) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के पत्रांक-कार्य0का0सू0-13/2024-3113 /वि0स0,राँची,दिनांक- 18 जुलाई,2024 के क्रम में निदेशानुसार मैं, पंचम झारखण्ड विधान-सभा का सप्तदश (मानसून) सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ,जिसमें यह दर्शाया गया है कि उक्त सत्र तिथि-**26 जुलाई,2024** से **02 अगस्त,2024** तक के अवधि में होनेवाली बैठकों में भिन्न- भिन्न कोटि के कार्यो के निष्पादन के लिए कौन-कौन सी तिथियाँ नियत की गई हैः-

2. दिनांकः- **26 जुलाई,2024** को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो) एवं विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणिकृत प्रतियों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो) तत्पश्चात् शोक प्रकाश (यदि हो) लिये जायेंगे।

3. दिनांकः- **27 जुलाई और 28 जुलाई,2024** को बैठक नहीं होगी।

-: **वित्तीय कार्य** :-

04. **वित्तीय वर्ष-2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं व्यवस्थापन**-दिनांक-**29जुलाई,2024** को वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं दिनांक-**30जुलाई,2024** को उक्त व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद,मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण होगा।

अतएव झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-173 एवं 268 (1) के अन्तर्गत उक्त व्यय विवरणी में सम्मिलित किसी मांग पर कटौती प्रस्तावों की सूचना नियम-168 के तहत शिथिल करते हुए दिनांक-**29जुलाई,2024** को 04:00 बजे अपराह्न तक सचिव के कार्यालय कक्ष में देने हेतु समय नियत किया गया है।

-: **विधायी कार्य** :-

5.दिनांकः-31 जुलाई ,01 अगस्त और 02 अगस्त,2024 को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो) होंगे।

कृ0पृ0उ0

-: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प) :-

6. संलग्न कार्यक्रम को देखने से यह स्पष्ट है कि **दिनांक- 02 अगस्त,2024** को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प)के लिए नियत किया गया है। झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के **नियम-126** के प्रथम परन्तुक के तहत गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना **दिनांक- 22 जुलाई,2024** को 04.00 बजे अप0 तक सचिव के कार्यालय कक्ष में दी जा सकती है।

मैं इस संबंध में आपका ध्यान झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के **नियम-126** के द्वितीय परन्तुक की ओर भी आकृष्ट करता हूँ,जिसके अनुसार कोई सदस्य गैर-सरकारी संकल्प के लिए एक से अधिक सूचना नहीं दे सकते हैं।

7.शलाका-गैर-सरकारी संकल्पों की पूर्ववर्तिता निर्धारित करने के लिए सचिव के कार्यालय कक्ष में शलाका किया जायेगा, जिसके लिए **दिनांक - 23 जुलाई, 2024 को 04.00 बजे अप0** का समय निर्धारित की गयी है।

8. (क)-प्रश्नों की सूचनायें देने के लिए चकानुवर्त्तित कम की सारणी अलग से परिचारित की जा रही है।

(ख)-अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्नों की प्राथमिकता शलाका द्वारा निर्धारित की जायेगी।

9.सत्र में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यों के लिए उपर्युक्त नियत तिथि ऐसे परिवर्तनों के अधीन है,जो समय-समय पर सदन में अभिज्ञापित किये जायेंगे अथवा दैनिक कार्य-सूची में दिखलाए जायेंगे ।

10. यदि कार्यवश दिनांक **-02 अगस्त,2024** के पश्चात् भी सत्र चलाना आवश्यक प्रतीत हुआ तो भिन्न-भिन्न कार्यो के निपटारे के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ नियत करते हुए एक अनुपूरक कार्यक्रम बाद में निर्गत किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि इस सचिवालय के द्वारा समय-समय पर प्रेषित कार्य-सूची सहित अन्य ऐसे कागजात जो आपके उपयोग एवं सत्रावधि में निदेश के लिए आवश्यक हो, उसे अपने साथ अवश्य लाने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन,

(सैयद जावेद हैदर) 18-7-2024
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

18/7/24

भारत के संविधान के अधीन गठित पंचम झारखण्ड विधान सभा के सप्तदश (मानसून) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम

दिनांक 26 जुलाई, 2024 (शुक्रवार)	1.	शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)
	2.	विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सभा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
	3.	शोक प्रकाश (यदि हो)
दिनांक 27जुलाई, 2024 (शनिवार)		अवकाश
दिनांक 28 जुलाई, 2024 (रविवार)		अवकाश
दिनांक 29 जुलाई, 2024 (सोमवार)	1.	प्रश्नकाल ।
	2.	वित्तीय वर्ष 2024–2025 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।
दिनांक 30 जुलाई, 2024 (मंगलवार)	1.	प्रश्नकाल ।
	2.	वित्तीय वर्ष 2024–2025 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद–विवाद, मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण।
दिनांक 31 जुलाई, 2024 (बुधवार)	1.	प्रश्नकाल ।
	2.	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)।
दिनांक 01 अगस्त, 2024 (गुरूवार)	1.	प्रश्नकाल ।
	2.	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)।
दिनांक 02 अगस्त, 2024 (शुक्रवार)	1.	प्रश्नकाल ।
	2.	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)।
	3.	गैर सरकारी सदस्यों का कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।

18/07/2024